रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2005/ज्येष्ठ 10, 1927
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2005/JYAISTHA 10, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2005

विषय : राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन।

सं. 1/15/2002/डीएम(I) एन डी एम III (ए).—1. भारत सरकार ने आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाने एवं उनके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करने, सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा आपदा की रोकथाम एवं प्रभाव को कम करने के उपाय सुनिश्चित किये जाने तथा आपदा की स्थिति में समग्र, समन्वित एवं त्वरित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक संस्थागत तन्त्र की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 'आपदा' से प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है, जो किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है जिसका परिणाम जीवन को सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, कष्ट या संपत्ति को हानि या नुकसान और उसका विनाश या पर्यावरण को नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

2. इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का संगठन निम्नानुसार होगा :—

(क) भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ख) इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले अधिकतम 9 सदस्य होंगे।

(ग) प्रधानमंत्री किसी एक सदस्य को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पदनामित कर सकेंगे।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व आपदा प्रबन्धन के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनाना होगा। प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य कर सकता है :—

(क) आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना;

(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना;

(ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना के अनुसरण में सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा बनायी गयी योजनाओं को अनुमोदित करना;

(घ) राज्य योजना बनाने में राज्य प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ङ) आपदा की रोकथाम एवं इसके प्रभावों को कम करने सम्बन्धी उपायों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में अपनाए जाने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(च) आपदा प्रबंधन के लिए योजनाओं और नीतियों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(छ) रोकथाम उपायों, तैयारी और कार्रवाई के लिए निधियों की व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण करना;

(ज) बड़ी आपदा से प्रभावित अन्य देशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित सहायता प्रदान करना;

(झ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंडों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा और सफाई से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करना;

(ख) विधवाओं तथा अनाथों के लिए विशेष प्रावधान करना;

(ग) जीवन की हानि के लिए अनुग्रह सहायता तथा मकानों की क्षति एवं आजीविका के साधन बहाल करने के लिए सहायता; और

(घ) ऐसी कोई अन्य राहत जो आवश्यक समझी जाए।

(ञ) ऋण के पुनर्भुगतान में छूट देने या ऐसी रियायती शर्तों पर ताजा ऋण देने के निदेश देना जो प्राधिकरण के निर्णय में उपयुक्त हों;

(ट) आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने, या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारी एवं क्षमता निर्माण के लिए अन्य ऐसे उपाय करना जिन्हें यह आवश्यक समझें।

4. भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए ऐसे अधिकारियों, सलाहकारों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जिन्हें वह इसके कार्यों के निर्वहन के लिए जरूरी समझती हो।

5. आपात स्थिति में, राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय प्राधिकरण की सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सके, किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

6. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सलाहकार समिति का गठन कर सकता है जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे और उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव होगा। सलाहकार समिति के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

अशीम खुराना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2005

Subject : Constitution of National Disaster Management Authority

No. 1/15/2002-DM(I)/NDM. III (A).—1. The Government of India have decided to put in place necessary institutional mechanisms for drawing up and monitoring the implementation of disaster management plans, ensuring measures by various wings of Government for prevention of and mitigating the effects of disasters and for undertaking a holistic, coordinated and prompt response to any disaster situation.

The term ''Disaster'', for the purposes of this notification, would mean a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence affecting any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

2. Against this background the Government of India have decided to set up a National Disaster Management Authority. The composition of the National Disaster Management Authority will be as under :—

(a) The Prime Minister of India shall be the Chairperson, ex-officio,

(b) Members, not exceeding nine, to be nominated by the Prime Minister.

(c) One of the Members may be designated as Vice-Chairperson of the Authority by the Prime Minister.

3. The National Disaster Management Authority shall have the responsibility for laying down the plans and policies for disaster management. The Authority may :—

(a) lay down policies on disaster management;

(b) approve the National Disaster Management Plan;

(c) approve plans prepared by the Ministries and Departments of the Government in accordance with the National Disaster Management Plan;

(d) lay down guidelines to be followed by a State Authority in drawing up the State Plan;

(e) lay down guidelines to be followed by different Ministries and Departments of the Government of India for the purpose of integrating the measures for prevention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects;

(f) coordinate the enforcement and implementation of the policies and plans for disaster management;

(g) arrange for, and oversee, the provision of funds for mitigation measures, preparedness and response;

(h) provide such support to other countries affected by a major disaster as may be determined by the Central Government;

(i) lay down guidelines for the minimum standards of relief to be provided to persons affected by disaster, which shall include—

  (a) the minimum requirements to be provided in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation,

  (b) the special provisions to be made for widows and orphans;

  (c) ex-gratia assistance on account of loss of life as also assistance on account of damage to houses and for restoration of means of livelihood; and

  (d) such other relief as may be necessary.

(j) give directions regarding relief in loan repayment or for grant of fresh loans on such concessional terms as may be appropriate in the judgement of the Authority;

(k) take such other measures for the prevention of disaster, of the mitigation of its effects, or for preparedness and capacity building for dealing with the threatening disaster situation or disaster as it may consider necessary.

4. The Government of India shall provide the National Disaster Management Authority with such officers, consultants and employees as it considers necessary for carrying out its functions.

5. The Chairperson of the National Authority shall, in the case of emergency, have power to exercise all or any of the powers of the National Authority, but exercise of such powers shall be subject to post facto approval by the National Authority.

6. The National Disaster Management Authority may constitute an Advisory Committee, consisting of experts in the field of disaster management, and having practical experience of disaster management at the district, state and national level, to make recommendations on various aspects of disaster management. The members of the Advisory Committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the Central Government.

7. The National Disaster Management Authority will be serviced by the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

ASHIM KHURANA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.